देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2018/MMP/02

E-Newsletter, Issued in Public Interest

शनिवार, 15 दिसम्बर 2018

राजस्थान पत्रिका

मास्टर प्लान का अक्षरशः पालन हो - हाईकोर्ट | गुलाब कोठारी की याचिका में उठाए मुद्दों पर लगी मुहर

घुटती सांसें, मरते शहरों को संजीवनी

पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी की जनहित याचिका पर ऐतिहासिक फैसला...

मास्टर प्लान ही मास्टर गाइडलाइन : हाईकोर्ट

जयपुर और जोधपुर समेत राजस्थान के 6 प्रमुख शहरों के मास्टर प्लान में बदलाव नहीं | कोर्ट का यह फैसला देश-प्रदेश के सुनियोजित विकास की दिशा करेगा तय

बढ़ रही परेशानियां...

कॉलोनियों में भूखंडों को जोड़ नहीं बन सकेंगी इमारतें

मास्टर प्लान में दर्शाना होगा, कहां बनेंगी बहुमंजिला इमारतें

ये हो रहा नुकसान

राज.उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का दोषी कौन:- मास्टर-प्लान में दर्शित अजमेरा गार्डन,अजमेर रोड पर नर्सरी की जमीन पर हो रही व्यावसायिक गतिविधियों को सील करने का मामला

अजमेरा गार्डन ,अजमेर रोड जयपुर का है मामला

जेडीए की कार्यशैली पर फिर सवालिया निशान खड़े हो रहे है|मामला अजमेर रोड व किंग्स रोड के कोर्नर पर(राजस्व ग्राम सुशीलपुरा के खसरे संख्या (198)23 बीघा 10 बिस्वा बेशकीमती जमीन से जुड़ा है|अवाप्ति के 25 साल बाद भी जे.डी.ए ने इस जमीन पर कब्ज़ा नहीं लिया,बल्कि 15 बीघा जमीन पर बसाई गयी अवैध कोलोनी को नियमित कर दिया,अब बाकी बची 8 बीघा जमीन पर,जो कि मास्टर प्लान 2025 के अनुसार नर्सरी की जमीन के रूप में दर्ज है,पर 8 बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे है|

नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा पूर्व में इस जमीन पर प्लाट काट कर बेचने की की थी साजिश

समिति द्वारा इस जमीन पर अजमेरा गार्डन योजना विकसित की,फिर जेडीए ने उसका नियमन कर डाला जेडीए की भवन मानचित्र समिति ने 8 जून 1994 को योजना की भूमि को अवाप्त मानकर भूरूपांतरण शुल्क की 10 गुना राशि लेकर कई भूखंडों के पट्टे जारी कर दिए,हालांकि मामला उछला तो जेडीए ने बाकी पट्टे रोक दिए|

सर्वप्रथम राजस्थान पत्रिका ने उछाला मामला

राजस्थान पत्रिका द्वारा अपने 09/05/2015 को प्रकाशित जयपुर सस्करण में इस मामले को प्रमुखता से उठाया और जेडीए अफसरों की साजिश को बेनकाब कर दिया|

rajasthanpatrika.com सिटी पत्रिका patrika.com/city राजस्थान पत्रिका

अजमेर रोड पर 8 बीघा जमीन का मामला : मास्टर प्लान में भू-उपयोग नर्सरी

बेशकीमती जमीन लुटा रहे जेडीए अफसर

नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की कॉलोनी बसाने की तैयारी

जेडीए यू टर्न का मौका

आवंटन जारी होने के बाद कर दिया नियमन

समिति की साजिश

पत्रिका Sat, 09 May 2015

पत्रिका की खबर पर हमारे द्वारा जेडीए से इस मामले में पूछे सवाल

पत्रिका की इस खबर पर हमारे द्वारा परिवाद संख्या 0515149441964 दिनांक 20/05/2018 को जेडीए से इस मामले में कार्यवाही करने को कहा|

शिकायत पर जेडीए ने माना कि नहीं हो सकता आवासीय योजना में नियमन

हमारे इस परिवाद पर आयुक्त ,जेडीए द्वारा यह स्वीकार किया गया कि आवेदित योजना नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की अजमेरा गार्डन योजना है जिसका भू उपयोग मास्टर प्लान में 2025 के अनुसार नर्सरी ओचार्ड है, जिसमें आवासीय योजना का नियमन/ अनुमोदन नहीं किया जा सकता है।

आवासीय योजना में नियमन नहीं होने पर समिति ने इस जमीन को व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सौप दिया|

अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने पर समिति द्वारा अलग रास्ता अपनाया गया उसने इस जमीन को 8 प्रतिष्ठानों को व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए सौप दिया| वर्तमान में यहाँ पर

1. कृष्णा स्टोन
2. मिनी पंजाब रेस्टोरेंट
3. अग्रसेन मार्बल एंड ग्रेनाईट
4. श्रीजी रियल स्टेट
5. आरजे-14 रेस्टोरेंट
6. टॉक ऑफ़ थे टाउन
7. पहाड़िया स्टोंस
8. अंग्रेजी शराब की दूकान

का संचालन किया जा रहा है|

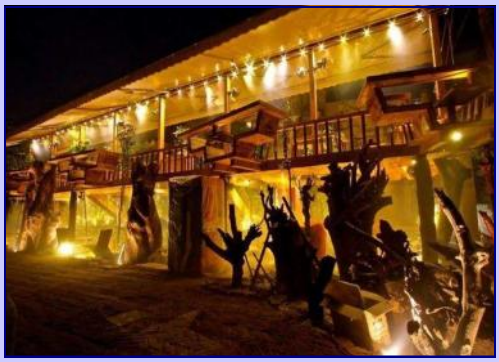

इन व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ राजस्थान पत्रिका द्वारा निरंतर अभियान चलाया गया जिसके फलस्वरूप 19/06/2018 को इन आठों प्रतिष्ठानों को अवैध मानते हुए धारा 32 के नोटिस दिए गए|

ANCHOR

अजमेर रोड पर अजमेर गार्डन से जुड़ी जमीन का मामला

नर्सरी की जमीन पर खोल दिए रेस्टोरेंट और मार्बल शोरूम

पत्रिका इंडेफ्थ स्टोरी

जयपुर @ पत्रिका. पुरानी चुंगी के आगे, अजमेर रोड व किंग्स रोड के कॉर्नर से सटी भूमि पर रेस्टोरेंट व मार्बल शोरूम से लेकर कई व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। यहां ऐसी किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं है।

जमीन पर काबिज लोग रूपांतरण कराए बिना और हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत काम कर चांदी कूट रहे हैं। मास्टर प्लान में यह जमीन नर्सरी ओचार्ड के रूप में दर्शित है और हाईकोर्ट ने मास्टर प्लान की अशरक्ष: पालना के आदेश दे रखे हैं।

जो भी विवाद है, निपट जाएगा। हालांकि व्यावसायिक गतिविधि के लिए जेडीए की अनुमति नहीं है लेकिन व्यावसायिक गतिविधि चलने से नुकसान क्या है?

जगदीश शर्मा, जमीन पर काबिज

यह है मामला

बहु उद्देश्यीय आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक सेक्टर-1 सी योजना के तहत 23 बीघा 10 बिस्वा जमीन अवाप्त की गई। इसका अवॉर्ड 16 नवम्बर 1989 को जारी किया गया।

हाईकोर्ट में मामला होने के दौरान ही नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति ने जेडीए में 8 बीघा भूमि पर आवासीय योजना के नियमन को लेकर आवेदन कर दिया। जबकि उस समय खातेदार ने ही भूमि अवाप्ति से मुक्ति के लिए याचिका दायर की थी।

अवाप्ति प्रक्रिया से मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र सौंपने वाले जगदीश शर्मा के दस्तावेज फर्जी होने का दावा किया। शिकायतकर्ता ने इसे पुष्ट करने के दस्तावेज सौंपे, जो 8 बीघा जमीन से जुड़े थे।

तत्कालीन विधि निदेशक ने तो अवाप्ति प्रक्रिया को ही कालातीत (खत्म) होना बता दिया। जबकि शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट 1959 की धारा 52 (52) के तहत अक्टूबर 1979 में शुरू हुई। नए भूमि अवाप्ति कानून की धारा 24 (2) केवल उन्हीं प्रकरणों पर लागू होती है, जिनमें भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि आवप्ति अधिनियम 1894 के तहत शुरू की गई हो।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस मामले की पत्रावली, अवाप्ति प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की प्रति मंगा चुका है।

जनता की शिकायत नजरअंदाज

मामला राजस्व ग्राम सुशीलपुरा की 23 बीघा 10 बिस्वा बेशकीमती जमीन से जुड़ा है। जेडीए अफसर यहां खाली पड़ी 8 बीघा जमीन को अवाप्ति से मुक्त कर योजना बसाने के प्रयासों में जुटे हैं। लोग नर्सरी के लिए आरक्षित जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां चलने की लगातार शिकायत करते रहे हैं। इसके बावजूद अफसर कार्रवाई के बजाय अवाप्ति से मुक्त करने की अनुशंसा की फाइल आगे बढ़ाने में जुटे रहे।

---

rajasthanpatrika.com
राजस्थान पत्रिका . जयपुर. बुधवार. 23.05.2018

कोर्ट आदेश की बेकद्री, नर्सरी की भूमि पर कूट रहे चांदी

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

मास्टर प्लान

जेडीए मान चुका अवैध, कार्रवाई नहीं

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. मास्टर प्लान के अनुसार सुव्यवस्थित विकास के हाईकोर्ट के आदेश की पालना करवाने वाले ही इसमें अड़ंगा लगा रहे है। अजमेर रोड, पुरानी चुंगी के आगे नर्सरी की जमीन पर व्यावसायिक गतिविधि धड़ल्ले से संचालित हो रही है।

जमीन पर काबिज लोग रेस्टोरेंट, मार्बल शोरूम से लेकर कई व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे है। जबकि, इस पर किसी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं है।

इस मामले में जेडीए की मौका रिपोर्ट में अवैध गतिविधि मानी गई है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर मिलीभगत का खेल चल रहा है। जबकि, ये ही अफसर शहर के गली-मोहल्लों में जाकर ऐसी गतिविधि रुकवाने का काम कर रहे हैं। हालांकि, मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) ऐसे मामलों में सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

यह है मामला..

बहुउद्देश्यीय आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक सेक्टर-1 सी योजना के तहत राजस्व ग्राम सुशीलपुरा के खसरा संख्या 198 में 23 बीघा 10 बिस्वा जमीन अवाप्त की गई।

करीब 8 बीघा जमीन खाली है। इसे अवाप्त मुक्त कर योजना बसाने के लिए काबिज लोग सक्रिय हुए। अभी तक कार्रवाई नहीं होने से जयपुर विकास प्राधिकरण के अफसरों पर सवाल खड़े हो रहे है।

फॉलोअप
राजस्थान पत्रिका

मास्टर प्लान में नर्सरी दर्ज, कद्र क्यों नहीं

मास्टर प्लान में यह जमीन नर्सरी (ओचार्ड) के रूप में दर्शित है। जोधपुर हाईकोर्ट ने भी मास्टर प्लान की अशरक्ष: पालना के आदेश दे रखे हैं। इसकी पालना कराने की जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ जेडीए, नगर निगम की भी है।

रिपोर्ट की जरूरत नहीं

मास्टर प्लान के विपरीत निर्माण के ऐसे मामलों में सभी को स्थिति पता है। ऐसे में बार-बार रिपोर्ट लेने की जरूरत है ही नहीं और न ही शिकायत का इंतजार करने की जरूरत। जेडीए सीधे कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि, व्यावसायिक गतिविधि संचालन की अनुमति है ही नहीं।

ऐसी किसी तरह की गतिविधि को अनुमति नहीं देंगे, जिससे एक्ट व कोर्ट आदेश की अवहेलना हो। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होगी।

राजेन्द्र सिंह सिसोदिया, मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जेडीए

अजमेर रोड पर नर्सरी की बेशकीमती जमीन का मामला

8 नोटिस थमाए, बंद करने का अल्टीमेटम

लोकतंत्र मेरे लिए — FOR THE PEOPLE

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. मास्टर प्लान दरकिनार कर नर्सरी की जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर जेडीए ने शिकंजा कस दिया है। अजमेर रोड, पुरानी चुंगी के आगे नर्सरी की जमीन पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को अवैध मानते हुए मंगलवार को 8 नोटिस थमाए।

जेडीए ने सभी को 7 दिन में गतिविधि बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। जमीन पर काबिज व्यक्ति को चेताया कि नर्सरी की भूमि पर कोई गतिविधि नहीं चलेगी। निर्धारित समय में गतिविधि बंद नहीं की तो सीलिंग व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। यहां रेस्टोरेंट, मार्बल शोरूम व अन्य गतिविधियां संचालित हो रही हैं। मास्टर प्लान में यह जमीन नर्सरी ओचार्ड के रूप में दर्शित है। जोधपुर हाईकोर्ट ने भी मास्टर प्लान की अशरक्ष: पालना करने के आदेश दे रखे हैं।

इन्हें थमाए बंद करने के नोटिस

कृष्णा स्टोन, मिनी पंजाब रेस्टोरेंट, आरटेन मार्बल एवं ग्रेनाइट, श्रीजी रियल एस्टेट, आरजे-14 रेस्टोरेंट, टॉक ऑफ द टाउन, पहाड़िया स्टोन व अंग्रेजी शराब की दुकान को नोटिस दिए गए हैं।

जोन ने भी माना अवैध गतिविधि

प्रवर्तन शाखा ने कुछ दिन पहले मौका मुआयना किया। इसके बाद जोन उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट एक दिन पहले मिली और दूसरे ही दिन नर्सरी की जमीन पर अवैध निर्माण व गतिविधि संचालित करने पर नोटिस थमाए गए।

एसीबी तक पहुंच चुका मामला

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस मामले की पत्रावली, अवाप्ति प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की प्रति मंगा चुका है। अवाप्ति प्रक्रिया से मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र सौंपने वाले जगदीश शर्मा के दस्तावेज फर्जी होने का ही दावा कर दिया। इस बीच शिकायकर्ता ने इसे पुष्ट करने के दस्तावेज सौंपे, जो 8 बीघा जमीन से जुड़े थे। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट 1959 की धारा 52 (52) के तहत अक्टूबर 1979 में शुरू हुई। नए भूमि अवाप्ति कानून की धारा 24 (2) केवल उन्हीं प्रकरणों पर लागू होती है, जिनमें भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि आवप्ति अधिनियम 1894 के तहत शुरू की गई हो।

यह है मामला

बहु उद्देशीय आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक सेक्टर-1 सी योजना के तहत राजस्व ग्राम सुशीलपुरा के खसरा संख्या 198 में 23 बीघा 10 बिस्वा जमीन अवाप्त की गई। करीब 8 बीघा जमीन खाली है। इसे अवाप्ति मुक्त कर योजना बसाने के लिए काबिज लोग सक्रिय हुए। हालांकि इस खेल में अभी तक सफलता नहीं मिली।

पत्रिका Wed, 20 June 2018
epaper.patrika.com/c/30238465

है। इसका विरोध भी शुरू हो गया। रहना पड़ रहा है।

नर्सरी पर कसा शिकंजा

जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां होंगी बंद

पत्रिका फॉलो अप

फॉलोअप
प्रकाशित खबर।

प्रवर्तन अधिकारी ने मौका निरीक्षण किया, जोन से मांगी रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाते हुए नर्सरी की जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर आखिर जेडीए ने शिकंजा कस दिया। अजमेर रोड, पुरानी चुंगी के आगे नर्सरी की जमीन पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की मौका रिपोर्ट तैयार करने के लिए जेडीए टीम बुधवार को वहां पहुंची।

प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सिंह भाटी ने यहां चल रहे रेस्टोरेंट, मार्बल शोरूम व अन्य गतिविधियों की सूची तैयार की। इसके लिए संचालकों से व्यावसायिक उपयोग की अनुमति मांगी गई, लेकिन किसी के पास नहीं मिली।

इसे गंभीर मानते हुए प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों ने मामले में एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जोन स्तर पर रिपोर्ट मांगी जा रही है, जिससे ऐसी गतिविधियों को बंद कराने की कार्रवाई की जा सके।

यह है मामला

नर्सरी की जमीन पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। जेडीए अफसरों के सामने यह काम हो रहा है। जबकि, ऐसे मामलों में जेडीए की रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि ये गतिविधियां पूरी तरह अवैध है। खुद जेडीए अधिकारी यह मान रहे हैं, लेकिन रसूखदारों के दबाव और मिलीभगत के खेल में सब कुछ दबाया जा रहा है। बहुउद्देश्यीय आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक सेक्टर-1 सी योजना के तहत राजस्व ग्राम सुशीलपुरा के खसरा संख्या 198 में 23 बीघा 10 बिस्वा जमीन अवाप्त की गई। करीब 8 बीघा जमीन खाली है, जिस पर जेडीए को कब्जा लेना है।

प्रवर्तन अधिकारी ने मौका देख लिया है। जोन से रिपोर्ट मांग रहे हैं, जिससे भूमि के भू-उपयोग की जानकारी हो जाए। जल्द अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया जाएगा।

राजेन्द्र सिंह सिसोदिया, मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जेडीए

नोटिस देने के 6 महीने बाद भी आज तक नहीं किया आठों प्रतिष्ठानों को सील

जेडीए प्रवर्तन अधिकारी जोन-5 द्वारा इन आठों प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए हुए 6 माह बीत गए है परन्तु आज तक इन आठों प्रतिष्ठानों को सील तक नहीं किया गया है| जिससे जे.डी.ए. अधिकारीयों की बड़ी मिलीभगत सामने आ रही है|

प्रवर्तन अधिकारी ज़ोन-5 नहीं दे रहे सूचना के अधिकार के अंतर्गत चाही गयी सूचनाएं|

हमारे द्वारा इस पुरे मामले से सम्बंधित दस्तावेजों की जानकारी,सील की प्रक्रिया,दिए गए नोटिसों की प्रतिलिपि आदि के लिए जब जे.डी.ए. प्रवर्तन अधिकारी ज़ोन-5 से सूचनाएं चाही गयी तो वह टालमटोल करने लगे जिसके चलते आज तक चाही गयी सूचनाएं नहीं उपलब्ध करवाई गयी है,इस मामले की अपील सूचना आयोग में की जा चुकी है|

नहीं कर सकते मास्टर प्लान की अवहेलना

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन 1554/2004 में दिए गए आदेश संख्या 3

The sanctity of Master Development Plan or the Zonal Development Plan finally sanctioned shall be maintained and all development schemes of the various zones and the development work to be undertaken by the local authorities or private entrepreneurs or anybody else during the operative period thereof , shall conform to the land uses as specified under the Master Development or Zonal Development Plan, as the case may be.

जिसके अनुसार किसी भी सूरत में मास्टर प्लान की अवहेलना नही की जा सकती है

उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना के जिम्मेदार कौन??

आयुक्त,जे.डी.ए.:-श्री वैभव गालरिया

मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक:-श्री राजेन्द्र सिंह सिसोदिया

उपायुक्त ज़ोन-5:-श्री नवल किशोर बैरवा

प्रवर्तन अधिकारी,ज़ोन-5:-श्री अजय शर्मा

जे.डी.ए. के अनुमोदित जोनल प्लान में दर्शित नर्सरी की जमीन